न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 110/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1. क्लीन सोलर पॉवर जोधपुर प्रा.लि. जरिये सीनियर मैनेजर बी.चैतन्य कुमार पुत्र श्री बी.एस.जे. विक्लिफ प्राधिकृत अधिकारी क्लीन सोलर पॉवर (जोधपुर) प्रा.लि.

प्रार्थी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) बाप जिला जोधपुर

अप्रार्थी.........

उपस्थित :-

1. श्री आरूफ खांन अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 09.02.2023

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी कम्पनी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2020 को ग्राम कुशलाराम की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 271/1 कुल रकबा 95 बीघा तथा खसरा नम्बर 217 की भूमि 7.41 बीघा तथा खसरा नम्बर 216 की कुल भूमि 4.25 बीघा खरीद की थी। जो कि सब रजिस्टार शेखासर के यहा दिनांक 28.02.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 48 पृष्ठ संख्या 162 कम संख्या 202003090100200 पर पंजीबद्ध हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 217 की 150.04 बीघा भूमि में से चुतर सिंह पुत्र राणीदानसिंह ने 1.24 बीघा कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 क्लीन सोलर प्राईवेट लि. कम्पनी को विक्रय कर दी, जिसका राजस्व रिकार्ड में अकंन किया हुआ है। इसी प्रकार उक्त खसरा नम्बर 217 की 150.04 बीघा कृषि भूमि में से आसुसिंह पुत्र राणीदानसिंह ने 1.235 बीघा कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 क्लीन सोलर प्राईवेट लि. कम्पनी को विक्रय कर दी, जिसका राजस्व रिकार्ड में अकंन किया हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 216 की 9 बीघा कृषि भूमि को नबी बक्श इत्यादि पुत्रगण समसुदीन ने प्रार्थी कम्पनी को दिनांक 16.05.2019 को विक्रय कर दी, जिसका राजस्व रिकार्ड में अकंन किया हुआ है। उक्त खसरे की कृषि भूमि मनोहरसिंह, नखतसिंह, मोहनसिंह पुत्रगण राणीदानसिंह ने अपने हक व हिस्से

उप खण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:29 IST
Reason: SelfAttested

की 741/30041 यानि 3.705 बीघा भूमि को नवीन महिपाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 12.02.2020 को विक्रय कर दी और नवीन महिपाल ने उक्त खसरे की 3.705 बीघा भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28.02.2020 को विक्रय कर दी। उक्त खसरे की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 217 की कृषि भूमि में से 17.225 बीघा कृषि भूमि को जयदान ट्रेडिंग कार्पोरेशन जरिये पार्टनर नवीन महिपाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 मैसर्स क्लीन सोलर पॉवर जोधपुर को जरिये विक्रय विलेख दिनांक 28.02.2020 को विक्रय कर दी। इस प्रकार वर्तमान में उक्त खसरे की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 क्लीन सोलर पॉवर प्रा.लि. के नाम से नामान्तरण दर्ज है। वर्तमान में खसरा नम्बर 217/7 का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार पूर्ववर्ती समस्त खसरा नम्बर 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 वर्तमान खसरा संख्या 217/1 में परिवर्तित हो चुके है। उपरोक्त समस्त खसरे का नम्बर परिवर्तित कर समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन्द्राज हो चुका है। पूर्व में माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी के समक्ष अन्तर्गत धारा 14(4) व 20 राजस्व भू अधिनियम के तहत इसी विवादित खसरा के संबंध में एक रेवन्यू वाद अनवानी वीरेन्द्र कुमार बनाम जीवराज सिंह जिसका मु. नं. 13/2020 था उक्त प्रकरण में लगभग समय प्रतिपक्षी थे। उक्त प्रकरण स्वयं पक्षकारान द्वारा अपना स्वामित्व कम्पनी के हक का मानते हुए प्रकरण दिनांक 13.10.2020 को विड्रो कर लिया था, माननीय न्यायालय के विभिन्न आदेशों और रेवन्यू रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में खसरा नम्बर 217/2 वर्तमान में, खसरा नम्बर 217 की मालिक कम्पनी क्लीन सोंलर पॉवर प्रा.लि. है तथा रेवन्यू रिकॉर्ड में प्रार्थी क्लीन सोलर पॉवर प्रा.लि. कम्पनी के नामान्तरित होकर कम्पनी के हक मे समस्त भूमि इन्द्राज हो चुकी है। लेकिन खसरा नम्बर आज दिनांक तक दुरूस्त नहीं किये गये है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी कम्पनी के नाम से नामान्तरण पश्चात आज भी पूर्ववर्ती खसरा नम्बर 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, [illegible] का अकंन हुआ है, जबकि उपरोक्त वर्णित पैराओं के अनुसार वर्तमान में मात्र नम्बर 217 व 217/1 ही वर्तमान में उपलब्ध है, उपरोक्त पैराओं में न्यायालय के आदेशोपरान्त खसरा नम्बर 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 को विलोपित का समस्त खसरे पुनः खसरा नम्बर 217/1 में समेकित कर पुराना खसरा पुनर्जिवित कर दिया गया था। अतः राजस्व रिकॉर्ड में जहा-जहा 217/2, 217/3, 217/4,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:29 IS
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

217/5, 217/6, 217/7 अंकित है के स्थान पर खसरा नम्बर 217/1 अंकित कर नामान्तरण में अंकित किए जाए क्योंकि उपरोक्त अकंन विधि विरूद्ध होने के कारण दुरूस्त किए जाने योग्य है। जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी कम्पनी क्रय की गई भूमि नक्शा में दुरूस्त कर तरमीम किया जाए।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किये गये।

अप्रार्थी तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार है-

ग्राम कुशलाराम की बस्ती का खेत खसरा नम्बर 217 रकबा 245.04 बीघा मिसल बन्दोबसत अनुसार है। जिसके खातेदार जोरसिंह पुत्र काछबसिंह, अर्जुनसिंह पुत्र श्री फूलसिंह, राणीदानसिंह पुत्र मूलसिंह व हाथीसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत साकिन खेतुसर थे। ग्राम देढासरी के नामान्तरण संख्या 73 के द्वारा खसरा नम्बर 217/1 रकबा 95 बीघा व खसरा नम्बर 251 रकबा 30.07 बीघा राणीदानसिंह व हाथीसिंह द्वारा बेचान हुई, जिस पर रेवन्यू अपील 11/1998 दिनांक 14.01.1998 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के स्थगन आदेश से उपरोक्त खसरा नम्बर राणीदानसिंह व हाथीसिंह के नाम से 1994 तक रहा। नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 03.06.1993 के द्वारा तहसीलदार फलोदी के आदेश 93/188 के अनुसार खसरा नम्बर 217/2 रकबा 68.18 बीघा नखतसिंह, चुतरसिंह, मनोहरसिंह, मोहनसिंह, आसुसिंह, राणीदानसिंह के नाम संयुक्त रूप से रही। नामान्तरण संख्या 21 ग्राम कुशलाराम की बस्ती द्वारा बंट्वारा होने से खसरा नम्बर 217/2 रकबा 13 बीघा नखतसिंह, 217/4 रकबा 13 बीघा, चुतरसिंह 217/6 रकबा 16.18 बीघा, मोहनसिंह 217/7 रकबा 13 बीघा, आसुसिंह खसरा नम्बर 217/5 रकबा 13 बीघा, मनोहरसिंह पिता राणीदानसिंह के नाम दर्ज हुई। जिसे नबीब बक्श द्वारा नयायालय में चुनौती दी गई व ग्राम देढासरी का नामान्तरण संख्या 73 अमल दरामद किया गया, जिससे खसरा [illegible] 217/1 रकबा 95 बीघा नबाबदीन पुत्र अमरूदीन व खसरा नम्बर 217 [illegible] बीघा रामसिंह वगैरह पिता जोरसिंह व फूलसिंह, पेपसिंह पुत्र हाथीसिंह, [illegible] कंवर पत्नी हाथी सिंह हिस्सा 248/3004 दर्ज किया गया। इसके उपरान्त ग्राम कुशला[illegible] की बस्ती के नामान्तरण संख्या 125, 126, 153, 156, 168 द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 217/1

उप खण्ड अधिकारी -बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:29 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 95 बीघा, खसरा नम्बर 217 रकबा 150.04 बीघा व खसरा नम्बर 251 रकबा 30.07 बीघा क्लीन सोलर पावर जोधपुर प्रा.लि. को बेचान कर दी गई। चूंकि ग्राम देदासरी का नामान्तरण संख्या 73 का अमल दरामद करने पर खसरा नम्बर 217 रकबा 150.04 बीघा व खसरा नम्बर 217/1 रकबा 95 बीघा ही रहते है। इसलिए खसरा नम्बर 217 के बट्वा नम्बर का कोई औचित्य नहीं है। अतः समस्त खसरा नम्बर 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 हटाकर खसरा नम्बर 217 रकबा 150.04 बीघा करना उचित है। खसरा नम्बर 217/7 रकबा 13 बीघा में माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के मुकदमा नम्बर 25/22 निर्णय दिनांक 08.03.2022 की पालना में खमा कंवर के रकबा के हित तक बेचान व हस्तान्तरण के लिये स्थगन आदेश है।

बहस उभय पक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सुनी गयी।

पत्रावली के संलग्न जमाबंदियों, नामान्तरण, विक्रय पत्र, तहसीलदार बाप के जवाब का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम कुशलाराम की बस्ती का खेत खसरा नम्बर 217 रकबा 245.04 बीघा मिसल बन्दोबस्त अनुसार है। जिसके खातेदार जोरसिंह पुत्र काछबसिंह, अर्जुनसिंह पुत्र श्री फूलसिंह, राणीदानसिंह पुत्र मूलसिंह व हाथीसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत साकिन खेतुसर थे। ग्राम देदासरी के नामान्तरण संख्या 73 के द्वारा खसरा नम्बर 217/1 रकबा 95 बीघा व खसरा नम्बर 251 रकबा 30.07 बीघा राणीदानसिंह व हाथीसिंह द्वारा बेचान हुई, जिस पर रेवन्यू अपील 11/1998 दिनांक 14.01.1998 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के स्थगन आदेश से उपरोक्त खसरा नम्बर राणीदानसिंह व हाथीसिंह के नाम से 1994 तक रहा। नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 03.06.1993 के द्वारा तहसीलदार फलोदी के आदेश 93/188 के अनुसार खसरा नम्बर 217/2 रकबा 68.18 बीघा नखतसिंह, चुतरसिंह, मनोहरसिंह, मोहनसिंह, आसुसिंह, राणीदानसिंह के नाम संयुक्त रूप से रही। नामान्तरण संख्या 21 ग्राम कुशलाराम की बस्ती द्वारा बंटवारा [illegible] नम्बर 217/2 रकबा 13 बीघा नखतसिंह, 217/4 रकबा 13 बीघा [illegible] रकबा 16.18 बीघा, मोहनसिंह 217/7 रकबा 13 बीघा, आसुसिंह खसरा नम्बर 217/5 रकबा 13 बीघा, मनोहरसिंह पिता राणीदानसिंह के नाम दर्ज हुई। जिसे नबाब बक्श द्वारा नयायालय में चुनौती दी गई व ग्राम देदासरी का नामान्तरण संख्या 73 अमल दरामद किया गया, जिससे खसरा नम्बर 217/1 रकबा 95 बीघा नबाबदीन पुत्र

उप खण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:29 IS
Reason: SelfAttested

अमरुद्दीन व खसरा नम्बर 217 रकबा 150.04 बीघा रामसिंह वगैरह पिता जोरसिंह व फूलसिंह, पेपसिंह पुत्र हाथीसिंह, अणचकंवर पत्नी हाथी सिंह हिस्सा 248/3004 दर्ज किया गया। इसके उपरान्त ग्राम कुशलाराम की बस्ती के नामान्तरण संख्या 125, 126, 153, 156, 168 द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 217/1 रकबा 95 बीघा, खसरा नम्बर 217 रकबा 150.04 बीघा क्लीन सोलर पावर जोधपुर प्रा.लि. को बेचान कर दी गई। चूंकि ग्राम देदासरी का नामान्तरण संख्या 73 का अमल दरामद करने पर खसरा नम्बर 217 रकबा 150.04 बीघा व खसरा नम्बर 217/1 रकबा 95 बीघा ही रहते है। अतः खसरा नम्बर 217/7 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर का स्थगन होने से उक्त खसरे को छोड़कर शेष खसरा नम्बर 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6 का एकीकरण किया जाकर इसके स्थान पर 217/1 किया जाना उचित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को दस्तावेजात से साबित किया है। मेरी राय में उक्त त्रुटि का सुधार किया जाना विधिपूर्ण है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कमरदीन की बस्ती के खसरा नंबर 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6 का एकीकरण किया जाकर इसके स्थान पर खसरा नम्बर 217/1 किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राज्स्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक जिलाधिकारी बाप

(मांगीलाल, आर.ए.एस.)
~~सहायक कलक्टर एवं~~ उपखण्ड अधिकारी बाप
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

"संशोधन"

2/09/2023 अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152 [illegible]
के आधार पर राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत [illegible]
भू. अधिनियम. प्रार्थना-पत्र संख्या 110/2022 [illegible]
सहवन से अंकित "ग्राम कमरदीन की बस्ती" को [illegible]
"ग्राम कुशलाराम की बस्ती" किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं इसी अनुसार पढ़ा व समझा जावे।

उप खण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:29 IST
Reason: SelfAttested